

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 17(1)साप्र/2/11

जयपुर, दिनांक : 05.7.2011

—: आदेश :—

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सन्मुख अंकित राजकीय आवास नियमानुसार किराये पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

क्र. सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि	वरियता संख्या
1.	श्री लखन सिंह मीणा वाहन चालक कृषि गणना, राजस्व विभाग, जयपुर	4/63 गौधीनगर	30.11.2029	14/09
2.	श्री जगदीश प्रसाद वाहन चालक रास्थान स्टेट मोटर गैरेज, जयपुर	4/79 गौधीनगर	31.12.2028	16/09
3.	श्री दिनेश जैन कनिष्ठ लिपिक राजस्थान विधान सभा, जयपुर	4/83 गौधीनगर	31.12.2034	17/09
4.	श्री गोविन्द प्रसाद महावर वरिष्ठ लिपिक गृह (ग्रुप-4) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/99 गौधीनगर	31.10.2034	70/09
5.	श्रीमती मेरी जोसफ नर्स ग्रेड-गा महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गोट, जयपुर	4/168 गौधीनगर (पुराना नं० एफ-981 गौधीनगर)	30.9.2017	18/09

शर्त :—

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्य नहीं किया है।

10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

आज्ञा से,

३)

(मनफूल बैरवा)  
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. नियंत्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैरेज, जयपुर।
4. निदेशक कृषि गणना, राजस्व विभाग, जयपुर।
5. उप सचिव (प्रशासन), राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
6. अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर।
7. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, जयपुर शहर जयपुर।
10. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावे।
11. अनुभागाधिकारी, कामिक (ग) विभाग, जयपुर को नियमानुसार किराया कटौती हेतु।
12. अधिशाषी अभियन्ता, साठनीवी/जन स्वाठ अभियो वी/जयपुर वीवीनिगम लिंग, गौँधीनगर, जयपुर।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौँधीनगर, जयपुर।
14. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
15. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
16. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव  
के नियन्त्रित कार्यालय-परिषद् विभाग के लिए इस दस्तावेज़ का उपयोग किया जाएगा।